FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 53 R.T. Act नं. 30 सन् 2018

2018/00250-

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही विवरण | नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म |
|---|---|---|
| 7/5/18 | आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट [illegible] में [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील तारानगर ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्ट्रर हो।<br><br>पक्षकारों ने उपस्थित होकर 50 रूपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेश पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारो को समझाया गया। सभी पक्षो ने राजीनामा पढ व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारो की पहचान [illegible] सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] सदस्य लोक अदालत सलाहकार समिति x ने की। पक्षकारो का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बैंच [illegible] द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के हक हिस्सा में रहेगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रैस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।<br><br>पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>[signature]<br>उपखण्ड अधिकारी<br>तारानगर (चूरू) | |